कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2023–24 / 40 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषय :– सत्र 2025–26 हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार बाबत्।

भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में अनेक छात्रवृत्ति योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गत सत्रों के प्रस्तावों की घटती संख्या से प्रतीत होता है कि इन योजनाओं की पूर्ण जानकारी लक्षित वर्ग को नहीं है, जिसके कारण अनेक पात्र विद्यार्थी इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

गत 2 सत्रों में जिशिअ माध्यमिक द्वारा सत्यापित प्रस्तावों की तुलना

क्र.स.	प्रमुख छात्रवृत्ति योजना का नाम	सत्र 2023–24	सत्र 2024–25	प्रतिशत कमी
1	अनुसूचित जाति कक्षा 6–8	319083	256067	19.75
2	अनुसूचित जनजाति कक्षा 6–8	256976	180474	29.77
3	अनुसूचित जाति कक्षा 9–10	120471	97567	19.01
4	अनुसूचित जनजाति कक्षा 9–10	75182	56263	25.16
5	अस्वच्छकार श्रेणी कक्षा 1–10	2068	1180	42.94
6	अन्य पिछडा वर्ग कक्षा 9–10	124315	93487	24.80
7	अति पिछडा वर्ग कक्षा 6–10	132573	99393	25.03
8	अन्य पिछडा वर्ग कक्षा 11–12	11929	10300	13.65

तालिकानुसार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभान्वितों की संख्या में आपेक्षिक प्रतिशत कमी हुई है। अतः राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं (प्रति संलग्न) के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अग्रानुसार कार्यवाही करें–

- **संस्था प्रधान / छात्रवृत्ति प्रभारियों की दक्षता अभिवृद्धिः**
  आगामी सत्र से कतिपय योजनाओं में ओ.टी.आर., बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की जाएगी। संस्था प्रधानों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों की विभिन्न माध्यमों से इस विषय में दक्षता बढाई जाएं ताकि नये तकनीकी नवाचारों के कारण लक्षित लाभार्थियों को असुविधा न हो व प्रस्तावों की संख्या में कमी न आने पाये।
- **विद्यार्थियों को जानकारी**
  सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सत्रारम्भ से छात्रवृत्ति योजनाओं पर विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा, बाल सभा में योजनाओं की विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया जाएं।
- **स्थानीय प्रशासन की भागीदारीः**
  ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाए जाएँ। इन शिविरों में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएं।

- **फ्लैक्स/बैनरः**
  अपने अधीनस्थ विद्यालयों को छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी से संबंधित फ्लैक्स/बैनर नोटिस बोर्ड पर अथवा ऐसे स्थान पर जहां समस्त विद्यार्थी एवं विद्यालय आने वाले आगन्तुक इस सूचना को स्पष्ट देख सकें अथवा दीवार पर पेंट से लिखवाकर योजनाओं की सूचना प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित करें। ग्राम पंचायतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जानकारी पूर्ण पोस्टर और बैनर लगाए जाएँ।
- **समाचार पत्र और रेडियो संदेशः**
  स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय रेडियो स्टेशनों के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं पर निःशुल्क जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएँ।
- **जिला एवं ब्लॉक स्तर पर परामर्श एवं सहायताः**
  एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए, जहाँ विद्यार्थी और अभिभावक अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकें।
- **मार्गदर्शन केंद्रः**
  विद्यालयों में छात्रवृत्ति मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ संस्था प्रधान एवं छात्रवृत्ति प्रभारी छात्रों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें।
- **प्रार्थना सभा और पी.टी.एम.:**
  विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी जाएं एवं अभिभावक–शिक्षक बैठकों, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति पर चर्चा की जाएं।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने से छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं समाज में प्रचार–प्रसार प्रभावी ढंग से हो पाएगा और अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधनार्थ।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रभावी प्रबोधनार्थ।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. समस्त संस्था प्रधान उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त जिला प्रभारी अपने निरीक्षणों के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :10-07-2025 02:31:11